जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शिवालकलां **दिनांक 21.09.2025**

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 146/25 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना मे प्रयुक्त 02 लकडी के डन्डों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2025 को वादी राजन पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण हरदीप, कीटव, उत्तमचन्द समस्त निवासीगण ग्राम सेह थाना शिवालाकलां व डम्पी निवासी बहादरपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता चमन सिंह के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की गई तथा उपचार हेतु ले जाते समय वादी के पिता की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित 1.हरदीप पुत्र उत्तमचन्द व 2.कीटव उर्फ विकास पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त 02 लकडी के डन्डे बरामद किये गए। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वादी राजन के पिता चमन सिंह से उनका पूर्व में ही मारपीट की मुकदमेबाजी चल रही थी। इसी रंजिश के चलते दिनांक 20.09.2025 को दोपहर के समय, जब चमन सिंह रास्ते से जा रहे थे, तब अभियुक्तगण ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान चमन सिंह ज़मीन पर गिर पड़े, जिसके पश्चात दोनों अभियुक्त गाँव से नहर की ओर भाग गये तथा मारपीट में प्रयुक्त दो डंडों को उन्होंने नहर की पटरी के पास झाडियों में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. हरदीप पुत्र उत्तमचन्द निवासी ग्राम सेह थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
2. कीटव उर्फ विकास पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सेह थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.उत्तम चन्द पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम सेह थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2.डम्पी उर्फ विकास पुत्र नरेन्द्र उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम खानजहाँपुर बहादरपुर थाना को0शहर बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त 02 लकडी के डन्डे

अभियुक्त हरदीप का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 104/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0 146/25 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

अभियुक्त कीटव का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 146/25 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्र0नि0 राकेश कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री तनवीर अहमद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

4.हे0का0 345 राजकुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

5.हे0का0 693 राहुल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

6.का0 1979 संदीप थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर **दिनांक 21.09.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 312/25 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2025 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.पवन पुत्र स्व0 सुरेशचन्द व 2.सचिन कुमार पुत्र महेश कुमार द्वारा वादिया के पति पर जान से मारने की नियत से फावडे से हमला कर गंभीर घायल कर दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 312/2025 धारा 109(1)/352/351(3)/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 333 बीएनएस का लोप किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र स्व0 सुरेश चन्द निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त एक फावडा बरामद किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पवन कुमार पुत्र स्व0 सुरेश चन्द निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक फावडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री श्रीकान्त सत्यार्थी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 2027 विपुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 234 अरूण कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2558 अजय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. का0 1649 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक- 21.09.2025**

नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रारम्भ किए गए मिशन शक्ति 5.0 के दृष्टिगत महिला पुलिकर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई।

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2025 को जनपद बिजनौर में महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुलिस लाइन बिजनौर से नगर क्षेत्र में भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना और महिला सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुँचाना रहा। जिलाधिकारी बिजनौर एवं पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। रैली के दौरान महिला पुलिस कर्मियों एवं एण्टी रोमियो टीम ने नारी गरिमा, सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता से जुड़े संदेशों के साथ लोगों को जागरूक किया। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए यह रैली जनसाधारण के लिए प्रेरणादायी रही और महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के प्रति समाज को सकारात्मक संदेश प्रदान किया।

AROMA Tailor
Cloth House

UP20B Z0637
UP11B Y0087

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 21.09.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान गोकशी की घटना कारित करने वाले हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्तों को पशु वध के उपकरण, अवैध शस्त्र व एक मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2025 को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तरगर्त आदित्य अस्पताल के समीप बसीपुर नहर के किनारे गौवंशी पशुओं के अवशेष मिलने के संबंध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 323/25 धारा 3/8 गौवध अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 20/21.09.2025 की रात्रि में थाना नजीबाबाद पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तगण आज फिर गौवंशीय पशुओ की तलाश में बुलेट मोटर साइकिल से ग्राम करमसखेडी से सरवनपुर नहर की तरफ आ रहे है।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बुलेट मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तो को पकडने का प्रयास किया तो बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दोनो बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गए। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी जिन्हे घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया।

घायल /गिरफ्तार अभियुक्तगण ने अपना नाम 1.खुर्शीद पुत्र फरीद कुरैशी निवासी ग्राम करमसखेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2.अफसार उर्फ भूरा पुत्र अहसान शेख निवासी ग्राम दूधली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस, पशु वध करने के उपकरण (एक बैग में 50 काली पन्नी,एक डिजीटल इलैक्ट्रोनिक कांटा, 04 प्लास्टिक के कट्टे व दूसरे बैग में पशु वध करने के औजार/उपकरण - 01 छुरी लोहा, एक चापड लोहा, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटखा, एक टार्च, एक रस्सी) तथा एक बुलेट मोटर साइकिल बरामद किये गये। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस मुठभेड के संबंध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 331/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त खुर्शीद पुत्र फरीद, थाना नजीबाबाद का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (एच0एस0नं0-88ए) है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि वे दोनो साथ मिलकर आसपास के क्षेत्र में घूमन्तु गौवंशीय पशु को पकडकर रात्रि मे सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हे काटकर उनका मांस आसपास के क्षेत्रो मे बेचते है । उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ दिन पूर्व भी उन्होने एक गौवंशीय पशु को काटा था तथा उसके अवशेषो को आदित्य हास्पिटल के करीब बशीरपुर नहर की पटरी पर फेक दिया था । आज भी दोनो अभियुक्तगण किसी घूमन्तु गौवंशी पशु को पकडकर काटने के लिये तलाश कर रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.खुर्शीद पुत्र फरीद कुरैशी निवासी ग्राम करमसखेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर (घायल)

2.अफसार उर्फ भूरा पुत्र अहसान शेख निवासी ग्राम दूधली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर (घायल)

बरामदगी विवरण-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस, पशु वध करने के उपकरण (एक बैग में 50 काली पन्नी,एक डिजीटल इलैक्ट्रोनिक कांटा, 04 प्लास्टिक के कट्टे व दूसरे बैग में पशु वध करने के औजार/उपकरण - 01 छुरी लोहा, एक चापड लोहा, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटखा, एक टार्च, एक रस्सी) तथा एक बुलेट मोटर साइकिल नं0-UK07DR1597,

अनावरित हुए अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 323/25 धारा 3/8 गौवध अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास खुर्शीद उपरोक्त -

1.मु0अ0सं0 449/2016 धारा 138बी विधुत अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0-30/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 80/2020 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 11 पशु कुरता अधि0 थाना नजीबाद जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 182/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0-323/2025 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना नजीबाद जनपद बिजनौर

6.मु0अ0स0-331/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अफसार उपरोक्त -

1.मु0अ0स0-152/2018 धारा 302/201/34 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0-323/2025 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना नजीबाद जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0स0-331/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. निरी0 अपराध श्री योगेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री नकुल शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. हे0का0 484 राहुल वेदवान सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. हे0का0 134 सौरभ कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. का0 1042 समोद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8. का0 962 शुभम तोमर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9. का0 815 सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
10. का0 1124 नितिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
11. का0 416 प्रदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
12. का0 1042 समोद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
13. का0 2436 राजीव राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर